न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2004/796/चित्तौड़गढ़

रखबलाल पुत्र श्री रूपचन्द, जाति महाजन निवासी बाडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– उमरावसिंह (मृतक) पुत्र श्री रूपचन्द जरिये वारिसान :–
1/1– मु0 चेनकंवर बेवा उमरावसिंह
1/2– कुलदीप
1/3– दिनेश चन्द
1/4 राकेश
1/5 तारा
पिसरान उमरावसिंह, जाति महाजन निवासी ग्राम बाडी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2– राजस्थान सरकार

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अयूब खान, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 17–12–2019

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 26–12–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

की धारा–88, 53 व कब्जेयाबी धारा–183 व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट के विरूद्ध वाके मौजा मलकपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर–40, 41 व 47 लगायत 52 व 62/34 किता 9 कुल रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी–अपीलान्ट की संयुक्त शामलाती आराजी है जिस पर वे बहैसियत खातेदार बहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे हैं तथा संयुक्त रूप से लगान भी अदा करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी के बीच भूमि को लेकर कमीबेशी का झगड़ा होता रहता है, वादी का अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है। अभिकथनों के आधार पर कुल तीन तनकीयात कायम की गई एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी के तहत वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया एवं अन्य प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम–17 के तहत वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने दोनों ही प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये। माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की गयी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने निर्णय एव डिक्री दिनांक 31–3–2001 द्वारा वादी का वाद, वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने से संधारण योग्य नहीं होना मानकर खारिज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 26–12–2003 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा का निर्णय दिनांक 31–3–2001 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर कायम तनकीयात व साक्ष्य का विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करें। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक

26–12–2003 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 26–12–2003 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2001 निरस्त कर प्रकरण पुनः तनकीवाईज निर्णय करने हेतु आदेश देने में कानूनी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी–अपीलान्ट ने वादी एवं अपीलान्ट के अलावा उनकी बहिन श्रीमती धापूकंवर का 1/3 हिस्सा होने का कथन किया है। उक्त निर्णय डिक्री की परिधि में नहीं आता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय विधिसम्मत है। प्रकरण में आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और तनकीवार भी निर्णय नहीं किया है अतः प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को पुनः रिमाण्ड किया गया है। अपील सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादी ने वाद इस्तकरारहक एवं बंटवाड़ा आराजियात एवं कब्जेयाबी, हुक्म इम्तनाई

द्वामी का पेश किया था। प्रतिवादी / अप्रार्थी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया और कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–40 पर मूलचन्द चमार पिता गंगा चमार का 40 साल से खसरा नम्बर–49 पर छगनलाल पिसरान रघुनाथ तेली का कब्जा 20 साल से, खसरा नम्बर–41 पर भैरूलाल पिता रतन सुथार का कब्जा 15 साल से चला आ रहा है। यह आराजी भी बिकी हुई है तथा कब्जा प्रतिवादी के पास नहीं है। आराजी खसरा नम्बर–52 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा को हमारे पिताजी ने हमारी बहिन धापूबाई पत्नी श्री छागनलाल तांतेड़ को हथलेवा में दी थी जिसको 50 साल हो गये जिस पर छगनलाल तांतेड़ काश्त करते हैं। मु. धापूबाई ने उक्त आराजी प्रतिवादी को वसीयत कर दी थी। इस भूमि को वादी ने प्रतिवादी के नाम कराने का इकरार किया था। आराजी खसरा नम्बर–62/34 रामा चमार के कब्जे होकर अमृतराम आदि के कब्जे में है। आराजी खसरा नम्बर–47 पर पूर्व में बंटवारा होकर 7 बीघा जमींन वादी की खातेदारी में तथा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में है जिस पर उसने कुंआ खुदवा रखा है। आराजी खसरा नम्बर–50 व 51 प्रतिवादी के हिस्से में बंटवारा से आई है। बंटवारे से शेष कोई भू भाग नहीं है। विशेष कथन में उसने कहा कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों को जो आवश्यक पक्षकार हैं उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये वाद खारिज होने योग्य है।

8– विचारण न्यायालय ने दिनांक 6–2–1990 को अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम की। मूलचन्द, गंगा व अमृतलाल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर दावा में पक्षकार बनाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 21–7–1993 को खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 सीपीसी प्रस्तुत कर जवाब दावा में संशोधन की प्रार्थना की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध एक निगरानी

माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार प्रतिवादी ने दिनांक 9–10–2000 को संशोधित जवाब दावा पेश किया। दिनांक 13–11–2000 को एक और तनकीयात कायम की गई। संशोधित तनकीयात निम्न प्रकार हैं :–

1– विवादित आराजीयात श्री मूलचन्द, भैरूलाल, छगनलाल, छगल तातेड़ का कब्जा है। इस सब दावे में ये सब पक्षकार हैं और इन्हें पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं है। **.....प्रतिवादी**

2– विवादित आराजीयात शामलाती है अतः वादी 1/2 बंटवारा कराने का अधिकारी है। **.....वादी**

3– **.....वादी**

4– क्या प्रतिवाद पत्र के विषय कथन की पैरा नम्बर–3 के अनुसार आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा चलने योग्य है। **.....प्रतिवादी**

9– उक्त तनकीयात का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रकरण में तनकीयात उचित प्रकार से नहीं बनाई गई हैं। प्रतिवादी ने जवाब दावे में अंकित किया है कि विवादित भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है और उसके आधार पर उभयपक्ष काबिज हैं तथा मौके पर कब्जा दीगर व्यक्तियों का है। इस बिन्दू पर कोई तनकी नहीं बनी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर–52 को वादी प्रतिवादी के पिता ने अपनी बहन धापू बाई को दे दिया था और वह इस पर काबिज है। इस पर भी कोई तनकी नहीं बनी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि दावा व संशोधित जवाब दावा के आधार पर निये सिरे से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता है। उक्त नई तनकियों को सिद्ध करने हेतु यदि आवश्यक समझें तो उभयपक्ष की साक्ष्य ग्रहण की जानी चाहिये तथा उसके पश्चात निर्णय किया जाना चाहिये।

10– जमाबन्दी संवत 2049–52 में इन्तकाल नम्बर–105 से 1/2 हिस्सा मोहनलाल पुत्र हीरा रेगर के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है। अतः प्रकरण में मोहनलाल आवश्यक पक्षकार है। उन्हें पक्षकार बनाये बिना विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है।

11– विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तनकीवार नही है जबकि उन्हें तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने प्रकरण को प्रति प्रषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

12– उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुये उक्त अपील निरस्त की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य